निर्णय बइजलास द्वारा श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

निर्णय दिनांक :— 10.01.2020

प्र0सं0 43 / 2017 रे.वाद

अनवान

1. श्रीमती अन्तर कंवर बेवा गोविन्दसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ
2. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री गोविन्दसिंह पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमती किशन कंवर पुत्री गोविन्दसिंह पत्नी कालुसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

——वादीगण

बनाम

1. श्री धीरजसिंह पिता माधुसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी
2. श्रीमती शैलु कंवर बेवा दलपतसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी
3. गुड्डी कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
4. सन्तु कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
5. वीरू कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
6. महावीरसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी

सभी नाबालिग जरीये संरक्षक माता शैलु कंवर बेवा दलपतसिंह राजपूत निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——प्रतिवादी

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

वाद अन्तर्गत धारा 88—188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील :— श्री राजेश समदानी वकील वादी।
श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रतिवादी।

वादीगण का वाद संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत हुआ कि राजस्व ग्राम कमेरी पटवार हल माद तहसील देवगढ जिला राजसमन्द में निम्नलिखित कृषि आराजियात स्थित है। आ0नं0 365,

रकबा 4.12 बीघा एवं आ0नं0 346 रकबा 18.14, आ0नं0 355 रकबा 3.17, आ0नं0 356 रकबा 7.05, आ0नं0 357 रकबा 6.15, आ0नं0 365/1 रकबा 3.10 कुल किता 5 रकबा 40.01 बीघा है। उक्त आराजियात प्रतिवादी सं0 01 एवं प्रतिवादी सं0 02 के पति दलपतसिंह के नाम खातेदारी से दर्ज है जो गलत दर्ज है। उपर्युक्त आराजियात गोविन्दसिंह पिता मूलसिंह के नाम दर्ज थी। हम वादीगण के पिता गोविन्दसिंह की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा विरासत से नामान्तकरण सं0 374 दिनांक 07.06.1990 को खोला गया जिसमें भूमि प्रतिवादी सं0 01 के पिता माधुसिंह एवं 02 के पति दलपतसिंह के नाम दर्ज हो गयी। यह कृषि आराजियात वादीगण के पिता की मौरूसी बाप–दादाओ की थी लेकिन गोविन्दसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् विरासत से जो ना0क0 खोला गया उसमें भूमिया केवल प्रतिवादी सं0 01 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 02 के पति के नाम पर अंकित कर दी गयी है। जबकि पटवारी हल्का को उक्त भूमि का ना0क0 गोविन्दसिंह पिता मूलसिंह की जाइन्दा सन्तान प्रतिवादी सं0 01 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 02 के पति के साथ–साथ वादीगण के नाम खोलना था परन्तु ग्राम पंचायत ने इस सबंध में भारी विधिक भूल कर वादीगण के हितो पर कुठाराघात किया है। वक्त ना0क0 ग्राम पंचायत ने बिना जांच पडताल किये बिना वादीगण को सूचना दिये एवं गोविन्दसिंह जी के वारिसानो की जांच किये बिना ना0क0सं0 374 खोल दिया जो वादीगण के हितो पर कुठाराघात है जो न्याय एवं विधि के सिद्धान्तो के विपरित है। गोविन्दसिंह जी की भूमि में उनके सभी वारिसानो का समान हक अधिकार निहीत है। नामान्तकरण की कार्यवाही एक फिसकल प्रासेडिंग है और नामान्तकरण की कार्यवाही से किसी व्यक्ति के कोई हक अधिकार तय नही किये जा सकते है न ही नामान्तकरण की कार्यवाही में कोई हक अधिकार ही प्राप्त किये जाते है जो नामान्तकरण गोविन्दसिंह जी की मृत्यु पश्चात् विरासत से खोला गया है वह उनके वारिसान वादीगण के नाम पर नही खोला जाने से प्रारम्भतः ही अवैध एवं शुन्य है। वादीगण को खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक है। उक्त भूमि वादीगण के पिता गोविन्दसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् अकेले माधुसिंह एवं दलपतसिंह के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हो गयी है। जबकि इस भूमि में हम गोविन्दसिंह जी के वारिसान का भी हक व अधिकार है इसकी जानकारी गोविन्दसिंह जी के पुत्रो को थी परन्तु इसकी जानकारी वक्त नामान्तकरण ग्राम पंचायत को नही दी गयी और ग्राम पंचायत ने भी वारिसानो की जांच किये बिना ही नामान्तकरण खोल दिया। उक्त आराजियात जो मौरूसी पुस्तेनी है में हम खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है। इसलिये यह वाद पत्र आप न्यायालय में खातेदारी घोषणा का पेश है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वादग्रस्त भूमि में वादीगण को खातेदार कास्तकार घोषित किया जावें। घोषणा के परिणाम स्वरूप प्रतिवादी सं0 01 एवं 02 के साथ राजस्व रेकार्ड में वादीगण का नाम खातेदारी के रूप में अंकित किये जाने का आदेश प्रदान करावे। साथ ही प्रतिवादी सं0 01 व 02 जो दलपत सिंह जी की पत्नी है गोविन्दसिंह के समस्त वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज नही हो जावें तब तक प्रतिवादी सं0 01 व 02 भूमि को किसी प्रकार से अन्तरित नही करें।

वादीगण का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को मय नकल वाद पत्र के सम्मन जारी किये गये। प्रत्युत्तर में प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री इन्द्रमल कंसारा नियुक्त हुऐ। दिनांक 16.10.2019 को वकील प्रतिवादी ने न्यायालय में उपस्थित होकर प्रकरण में नोइट्रेक्शन पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी की वकालत बंद की गयी। प्रतिवादीगण ने प्रकरण में कोई जवाब पेश नही किया। जिस पर प्रतिवादीगण का जवाब बंद किया गया। वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी। वकील वादी ने बहस में तर्क दिया कि ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ

2/08
सहायक कलेक्टर
देवगढ, जिला–राजसमन्द

में कृषि आराजियात स्थित है जिसके आ0नं0 346/1, 355, 356, 357, 365/1 कुल किता 05 कुल रकबा 40.01 बीघा है। उक्त भूमि श्री गोविन्दसिंह पिता मूलसिंह राजपूत के नाम दर्ज थी। गोविन्दसिंह जी की मृत्यु के पश्चात् ग्राम पंचायत द्वारा विरासत से नामान्तरण संख्या 374 दिनांक 07.06.1990 खोला जिसमें प्रतिवादी सं0 01 के पिता माधूसिंह एवं 02 के पति दलपतसिंह के नाम दर्ज हो गयी। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता मौरूसी बाप-दादओं की थी लेकिन गोविन्दसिंह जी की मृत्यु के बाद विरासत से जो नामान्तकरण खोला उसमें भूमिया अकेले प्रतिवादी सं0 01 के पिता एवं प्रतिवादी सं0 02 के पति के नाम दर्ज कर दी गयी। जबकि पटवार हल्का को उक्त भूमि का नामान्तकरण गोविन्दसिंह की जाइन्दा सन्तान प्रतिवादी सं0 01 व प्रतिवादी सं0 02 के पति के साथ-साथ वादीगण के नाम खोला जाना चाहिये था। ग्राम पंचायत ने इस संबंध में भारी भूल की है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार फरमाया जावे तथा ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद की भूमि आ0नं0 365/8, रकबा 4.12 एवं आ0नं0 346/1 आ0नं0 355, आ0नं0 356, आ0नं0 357, आ0नं0 365/1 कुल किता 5 रकबा 40.01 में वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें।

हमनें वादीगण के वाद पत्र, नकल जमाबन्दी गवाह शपथ पत्र एवं पत्रावली में सलंग्न अन्य दस्तावेजो का अवलोकन किया तथा विद्ववान वकील वादी की बहस पर मनन किया। वादग्रस्त भूमि वादीगण के पिता की होकर मौरूसी भूमि है जिस पर वादीगण का भी हक एवं अधिकार है। लेकिन वादीगण के पिता की मृत्यु पश्चात् जो वसीयत से नामान्तकरण पटवारी हल्का खोला गया वह केवल प्रतिवादीगण के नाम ही खोल दिया जबकि वादीगण के नाम भी खोला जाना चाहिये था।

अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित कृषी भूमि आ0नं0 365/8, आ0नं0 346/1, आ0नं0 355, आ0नं0 356, आ0नं0 357, आ0नं0 365/1 कुल किता 5 कुल रकबा 40.01 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण के नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे तद्नुसार डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावें। निर्णय आज दिनांक 10.01.2020 को खुले न्यायालय सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़, जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

राजस्थान–सरकार

डिग्री व मुकद्दमे इब्तदाई

अज अदालत सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द
निर्णय श्री शक्ति सिंह भाटी (**R.A.S.**) सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी देवगढ़
निर्णय दिनांक :– 10.01.2020

प्र0स0 43/2017 रे.वाद

अनवान

1. श्रीमती अन्तर कंवर बेवा गोविन्दसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़
2. श्रीमती भंवर कंवर पुत्री गोविन्दसिंह पत्नी सवाईसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रीमती किशन कंवर पुत्री गोविन्दसिंह पत्नी कालुसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी पालरा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा

——वादीगण

बनाम

1. श्री भीरजसिंह पिता माधुसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी
2. श्रीमती शैलु कंवर बेवा दलपतसिंह जाति राजपूत आयु बालिग निवासी कमेरी
3. गुड्डी कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
4. सन्तु कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
5. वीरू कंवर पुत्री दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी
6. महावीरसिंह पिता दलपतसिंह जाति राजपूत निवासी कमेरी

सभी नाबालिग जरीये संरक्षक माता शैलु कंवर बेवा दलपतसिंह राजपूत निवासी कमेरी तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

——प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित वकील :– **श्री राजेश समदानी वकील वादी।**
श्री इन्द्रमल कंसारा वकील प्रतिवादी।

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रूबरू..मिनजानिब मुद्दायलह पेश हो वादी का वाद पत्र इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि तथा ग्राम कमेरी पटवार हल्का माद तहसील देवगढ में स्थित कृषी भूमि आ0नं0 365/8, आ0नं0 346/1, आ0नं0 355, आ0नं0 356, आ0नं0 357, आ0नं0 365/1 कुल किता 5 कुल रकबा 40.01 बीघा भूमि में प्रतिवादीगण के साथ साथ वादीगण के नाम भी दर्ज करने के आदेश दिये जाते है। नीज................ खर्चा इस ....मुबलिग................बाबत................फीसदी सालाना आज की तारिख मुकद्दमे के मय सूद व शहर................का अदा करें। से तारीख वसूलयाबी तक................

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारिख 10 मास 01 सन 2020 की जारी की गई।

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द

मुद्दई	रूपया	पै0	मुद्दायला	रूपया	पै0
स्टाम्प अरजी दावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	0	00
स्टाम्प वकालतनामा	2	00	स्टाम्प अरजी	0	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	महनताना वकील	0	00
महनताना वकील)पर	0	00	)पर	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीश्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत ईजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	2	00	मुतफर्रिक	0	
मिजान	9	00	मिजान	00	00

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकन का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिऐं।

सहायक कलेक्टर
देवगढ़ जिला-राजसमन्द

सहायक कलेक्टर / उपखण्ड अधिकारी
देवगढ़ जिला–राजसमन्द